न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– भागीरथराम R.A.S.

म्यूटेशन अपील सं. : 1/18

अपीलकर्ता : श्रीमति राधा पत्नी भूराराम पुत्री पैलाद जाति लुहार निवासी पाटोदी हाल–रेबारियो का बास, रेवडाकला, तह. आहोर जिला जालोर

ब ना म

रेस्पोड़ेन्ट :
1. ग्राम पंचायत पाटोदी जरीये सरपंच ग्राम पंचायत पाटोदी
2. अजा वल्द नारायण कौम लुहार (जिसे अपने आप को अजा वल्द पैलाद कहा है)
3. रूपा वल्द ईसरा कौम लुहार निवासीयान पाटोदी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (डिलेट)

(नोट : जमाबंदी में अन्य सहखातेदार दर्ज है, किन्तु अन्य सहखातेदारो के सम्बद्ध में न तो अनुतोष चाहा है, और न ही उनके हिस्से सम्बधित विवाद ही है, इसलिए उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है।)

4. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

<u>अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.रा.अ.</u>

निर्णय दिनांक : 03.07.2018

उपस्थित : अधिवक्ता अपीलांट अचलाराम थोरी

अपीलांट ने अपील प्रस्तुत की, अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, सरहद मौजा मूल राजस्व गांव पाटोदी में खेत खसरा सं. 3933, 3934, 4120, 4124 कमश रकबा 1.08 बीघा, 17.06 बीघा, 53.16 बीघा, 14.01 बीघा कुल रकबा 86 बीघा 11 विस्वा अवस्थित रहा है, उपरोक्त कृषि भूमियों में अपीलांट के पिता पैलाद का 1/4 हिस्सा खातेदारी का रहा। अपीलांट मृतक पैलाद की एकमात्र पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की एकमात्र वारिस है, अपीलांट के पिता स्वं. पैलाद के अपीलांट के अलावा अन्य कोई वारिस नही था, तदोपरान्त अपीलांट के पिता का निंवसीयती देहान्त हुआ, अपीलांट अनपढ़ गरीब तबके की घरेलू कामकाजी महिला रही व है, उक्त परिस्थिति का अवैध रूप से फायदा उठाकर गलत तौर से फौतगी म्युटेशन रेस्पोड़ेन्ट सं. 2 ने अपने आप को मृतक पैलाद का पुत्र होना बताकर अवैध तरीके से अपने नाम पारित करवा दिया, जिसका कोई अधिकार रेस्पोड़ेन्ट सं. 2 को नही था, क्योकि रेस्पोड़ेन्ट सं. 2 अपीलांट के पिता मृतक पैलाद का पुत्र नही था, और न ही मृतक पैलाद से कोई रिस्ता ही रहा। राजस्व रेकर्ड़ में दर्ज हुई उक्त गलत प्रविष्टि का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोड़ेन्ट सं. 2 ने अवैध कृत्य करते हुए सरहद मौजा पाटोदी में अवस्थित खसरा सं. 3934 का दुरूपयोग कर मृतक पैलाद से अवैध तरीके से मिले उक्त सम्पुर्ण 1/4 हिस्से का बैचान रेस्पोड़ेन्ट सं. 3 को कर दिया, जबकि ऐसा करने का कोई अधिकार रेस्पोड़ेन्ट सं. 2 को नही था, उपरोक्त कृषि भूमियो के राजस्व रेकर्ड़ में मृतक पैलाद का फौतेदगी नामान्तरणकरण अपीलांट के नाम पारित नही कर, बिना अपीलांट को सुनवाई सबुत का अवसर दिये, और बिना मृतक पैलाद के वारिसो की जाँच किये अवैध तरीके से रेस्पोड़ेन्ट सं. 2 के नाम पारित कर दिया गया, जिससे अपीलांट के विधिक हक प्रतिकुल रूप से प्रभावी हुए है, फौतगी म्युटेशन पारित होने के बाद उक्त मूल राजस्व गॉव पाटोदी में से नया गॉव भाखरसर सर्जित होने से खसरा सं. 4120, 4124 भाखरसर में रखे गये तथा खसरा सं. 3933, 3934 मौजा पाटोदी में रहे। ततसमय के 1/4 हिस्से के सहखातेदार पैलाद की अपीलांट एकमात्र प्रथम श्रेणी की जायंदा पुत्री वारिस है, अपीलांट के पिता स्वं. पैलाद के अपीलांट के अलावा अन्य कोई वारिस नही था, जिससे अपीलांट अपने स्वर्गीय पिता पैलाद के खातेदारी की भूमि की

.....2

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

एकमात्र उतराधिकारीणी होने से अपीलांट के नाम फौतेदगी म्युटेशन पारित नही करने में विधि एवं तथ्यो की भारी भूल की है, अपीलांट के पिता पैलाद का हिन्दु रहते हुए निंवसियती देहान्त होने पर रेस्पोड़ेन्ट सं. 2 ने, रेस्पोड़ेन्ट सं. 1 व राजस्व कर्मचारीयो से मिलावट कर गलत तथ्य बताकर अवैध तरीके से फौतगी म्युटेशन रेस्पोड़ेन्ट सं. 2 ने अपने आप को मृतक पैलाद का पुत्र होना बताकर अपने नाम पारित करवा दिया, जिसका कोई अधिकार रेस्पोड़ेन्ट सं. 2 को नही था, क्योकि रेस्पोड़ेन्ट सं. 2 कभी भी अपीलांट के पिता मृतक पैलाद का पुत्र वारिस नही रहा और रेस्पोड़ेन्ट सं. 2 का मृतक पैलाद से कोई रिस्ता ही रहा, फिर भी रेस्पोड़ेन्ट सं. 1 ने रेस्पो. सं. 2 के नाम फौतगी म्युटेशन पारित करने में विधि एवं तथ्यो की भारी भूल की है, जिससे फौतगी म्युटेशन निरस्त अपास्त किये जाने योग्य है राजस्व रेकर्ड़ में दर्ज हुई उक्त गलत प्रविष्टि का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोड़ेन्ट सं. 2 ने अवैध कृत्य करते हुए सरहद मौजा पाटोदी में अवस्थित खसरा सं. 3934 का दुरूपयोग कर अपीलांट के पिता मृतक पैलाद से मिले उक्त सम्पुर्ण 1/4 हिस्से का बैचान रेस्पोड़ेन्ट सं. 3 को कर दिया, जिसका कोई अधिकार रेस्पोड़ेन्टान को नही रहा, क्योकि रेस्पोड़ेन्ट सं. 3 को उक्त तथ्य की पुर्ण जानकारी थी, की रेस्पोड़ेन्ट सं. 2 मृतक पैलाद का न तो पुत्र है, और न वारिस ही है, अपीलांट मृतक पैलाद की एकमात्र पुत्री प्रथम श्रेणी की वारिस है, और रेस्पों. सं. 2 का नाम रेकर्ड़ में गलत तरीके से दर्ज अंकित हुआ है, क्योकि रेस्पोड़ेन्ट सं. 03 पहले से उक्त भूमि में अन्य हिस्से में सहखातेदार है, फिर भी गलत, अवैध व अनुचित तरीके से मिलावट कर भूमि खरीद करने का उपकम किया है, इस प्रकार रेकर्ड़ में अवैध तरीके से पारित फौतगी म्युटेशन एवं अन्य कार्यवाहीयाँ प्रारम्भ से ही शुन्य प्रभाव की रही व है। अपीलकर्ता ने अपने पिता के देहान्त होने के पश्चात हल्का पटवारी पाटोदी को फौतगी म्युटेशन पारित करने हेतु कहा, तब अपीलकर्ता को यह कहा गया कि अपीलकर्ता के नाम नामान्तरण पारित कर दिया गया है, हाल ही में दिनांक 04.12.2017 को राजस्व रेकर्ड़ की नकले प्राप्त करने पर उक्त तथ्य की प्रथम बार जानकारी हुई कि अपीलकर्ता के नाम कोई फौतगी म्युटेशन पारित नही किया जाकर रेस्पोड़ेन्ट सं 02 के नाम अवैध तरीके से पारित कर दिया गया है, जिससे अपीलाधीन नामान्तरणकरण विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के नितान्त विपरीत होने से निरस्त अपास्त किये जाने योग्य हैं। म्युटेशन एक राजस्व संग्रहण का माध्यम है, म्युटेशन से किसी भी पक्ष के हित सर्जित नही होते है, अपीलांट मृतक पैलाद की एक मात्र प्रथम श्रेणी की पुत्री वारिस होने से मृतक पैलाद की भूमि में अपीलांट के हक, हित अन्तर्गत धारा 6, 8 हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत निहीत हो गये, जो कभी भी विनिहित नही हुए । सरपंच पाटोदी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/4 हिस्से के खातेदार टीनेन्ट मृतक पैलाद की एकमात्र उतराधिकारी वारिस अपीलकर्ता के नाम नामान्तरणकरण नही खोलकर गलत तौर से रेस्पोड़ेन्ट सं. 02 के नाम फौतगी म्युटेशन पारित करने में विधि एवं तथ्यो की भारी भूल की है । अपील मीमों के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किया ।

अपील मीमो बाद कार्यालय रिपोर्ट दर्ज कर रेस्पोडेन्टान को जरिये सम्मन तलब किया, रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, व 4 बावजूद पर्याप्त तामिल के अनुपस्थित ।

अपीलांट की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 03 का देहान्त हो चुका है, और उसके द्वारा मौजा पाटोदी में अवस्थित खसरा सं. 3934 में से पैलाद के 1/4 हिस्से का जो हिस्सा खरीद किया है, उसके सम्बन्ध में कोई अनुतोष नहीं चाहती है। उक्त खसरे तक व रेस्पोडेन्ट सं. 03 के हक तक अपील विड्रो करती है ।

हमने उपस्थित अपीलांट को सुना पत्रावली एवं पत्रावली से संबंधित दस्तावेजात का अवलोकन अध्ययन किया, अपीलाधीन म्यूटेशन का अवलोकन अध्ययन किया ।

अपीलांट ने अपने आप को पैलाद जो अपीलाधीन भूमियों का 1/4 हिस्से का खातेदार था, की जायंदा पुत्री होने का अभिवचन कर अपील पेश की है, और यह साथ ही अभिवचन किया हैं, कि अपीलांट के अलावा मृतक सह–खातेदार पैलाद के कोई विधिक प्रथम श्रेणी का वारिस नहीं हैं, इस कारण फौतगी म्यूटेशन उसके नाम से ही पारित किया जाना चाहिये था, किन्तु रेस्पोडेन्ट सं. 02 अजा जो नारायण का पुत्र था, ने गलत तौर से अजा का पुत्र बता कर म्यूटेशन पारित कराया है, और ऐसे म्यूटेशन के तथ्यों की कोई जानकारी अपीलांट को नहीं होने दी, बाबत कथन किया हैं ।

.....3

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

चूँकि अपीलांट ने पूर्व मृत खातेदार पैलाद की पुत्री होना बता कर वर्तमान अपील पेश की है, जबकि अपीलाधीन म्यूटेशन में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं हैं । वास्तव में मृतक सह खातेदार पैलाद की विधिक प्रथम श्रेणी की वारिस अपीलांट हैं या अन्य भी है, इस सम्बन्ध में जांच करना न्याय हित में आवश्यक हैं, ऐसी जांच ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं की गई हैं । अपीलांट ने जो धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं, उसमें वर्णित तथ्यों को नहीं मानने का कोई कारण विद्यमान नहीं हैं । विधि का भी यह स्थापित सिद्धान्त हैं, कि प्रकरण जब गुणावगुणों पर सुदृढ हो तो तकनीकी बिन्दुं पर प्रकरण निस्तारण नहीं कर गुणावगुणों पर निर्णित किया जाना चाहिये । अपील, अपीलांट अन्दर म्याद शुमार कर गुणावगुणों पर निर्णित की जा रही हैं ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील, अपीलांट स्वीकार कर खसरा सं. 3933, 3934, 4120, 4124 कुल रकबा 86 बीघा 11 विस्वा के संबंध में मृतक पैलाद पुत्र रतना की फौतगी पर पारित म्यूटेशन सं. 931 ग्राम पंचायत पाटोदी निरस्त कर तहसीलदार पचपदरा को रिमाण्ड पर आदेश दिया जाता हैं कि सह खातेदार मृतक पैलाद के प्रथम श्रेणी के वारिसान की जांच कर नये सिरे से म्युटेशन की कार्यवाही करें, साथ ही यह स्पष्ट किया जाता हैं कि खसरा सं. 3934 में जहां पैलाद का नाम दर्ज था, के स्थान पर अजा का नाम दर्ज हुआ, और अजा द्वारा रूपा पुत्र इसरा को बेचान किया का नाम वर्तमान जमाबंदी अनुसार यथावत रखा जावे, खसर सं. 3933, 4120, 4124 कुल रकबा 69 बीघा 05 विस्वा के संबंध में नया म्यूटेशन पारित करें।

निर्णय आज तारीख 03.07.2018 को सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.),
बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner